



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2454]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938

No. 2454]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का०आ०3180 (अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (संक्षिप्त रूप में एनपीपीए है), नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट तत्काल प्रभावी अधिकतम कीमत और उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	गैन्सिक्लोविर इन्जेक्शन	गैन्सिक्लोविर-500 मिग्रा. के लिए पाउडर	प्रति पैक	1501.69
2.	फ्लुओक्सीटाइन गोली	फ्लुओक्सीटाइन-20 मिग्रा	1 गोली	3.68
3.	ओमेप्राज़ोल गोली	ओमेप्राज़ोल-40 मिग्रा.	1 गोली	7.74
4.	प्रोप्रानोलोल कैपसूल	प्रोप्रानोलोल-40 मिग्रा.	1 कैपसूल	3.53
5.	नाइट्रोफ्यूरेन्टोइन कैपसूल	नाइट्रोफ्यूरेन्टोइन-100 मिग्रा.	1 कैपसूल	6.51
6.	एजिथ्रोमाइसिन कैपसूल	एजिथ्रोमाइसिन-250 मिग्रा.	1 कैपसूल	9.75
7.	एजिथ्रोमाइसिन कैपसूल	एजिथ्रोमाइसिन-500 मिग्रा.	1 कैपसूल	15.38
8.	इमाटिनिब कैपसूल	इमाटिनिब-100 मिग्रा.	1 कैपसूल	72.03

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./169/37/2016/वि/फा. सं० 8(37)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिवी.-II]
बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3180(E).— In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ganciclovir Powder for Injection	Ganciclovir -500 mg	Each Pack	1501.69
2.	Fluoxetine Tablet	Fluoxetine-20 mg	1 Tablet	3.68
3.	Omeprazole Tablet	Omeprazole-40 mg	1 Tablet	7.74
4.	Propranolol Capsule	Propranolol-40 mg	1 Capsule	3.53
5.	Nitrofurantoin Capsule	Nitrofurantoin-100 mg	1 Capsule	6.51
6.	Azithromycin Capsule	Azithromycin-250 mg	1 Capsule	9.75
7.	Azithromycin Capsule	Azithromycin-500 mg	1 Capsule	15.38
8.	Imatinib Capsule	Imatinib-100 mg	1 Capsule	72.03

Note :

- (a) All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- (e) Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (f) The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (g) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (h) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/169/37/2016/F/ F. No. 8(37)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Assistant Director

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3181(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का. आ. 644(अ), दिनांक 2 मार्च, 2016, को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस

सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी				
क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	लिथियम गोली	लिथियम-300 मिग्रा.	1 गोली	1.35
2.	डियाज़ापाम इन्जेक्शन	डियाज़ापाम-5 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	5.62
3.	फेनीटोइन इन्जेक्शन	फेनीटोइन-50 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	4.98
4.	थियोपेनटोन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	थियोपेनटोन-1 ग्राम	प्रति पैक	45.86
5.	केटामाइन इन्जेक्शन	केटामाइन-50 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	9.69
6.	केटामाइन इन्जेक्शन	केटामाइन-10 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	9.83
7.	प्रोपोफोल इन्जेक्शन	प्रोपोफोल-10 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	6.70
8.	ब्यूपीवेकेन इन्जेक्शन	ब्यूपीवेकेन-0.25%	1 मिलि	2.27
9.	ब्यूपीवेकेन इन्जेक्शन	ब्यूपीवेकेन-0.5%	1 मिलि	3.64
10.	एड्रिनालाइन इन्जेक्शन	एड्रिनालाइन-1 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	12.33
11.	लिग्नोकेन इन्जेक्शन	लिग्नोकेन-1%	प्रति पैक	7.36
12.	लिग्नोकेन इन्जेक्शन	लिग्नोकेन-2%	1 मिलि	0.91
13.	डोक्सीसाइकलिन गोली	डोक्सीसाइकलिन-100 मिग्रा.	1 गोली	0.90
14.	विनक्रिस्टीन इन्जेक्शन	विनक्रिस्टीन-1 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	46.37
15.	ओन्डेनसेट्रोन ऑरल लिक्विड	ओन्डेनसेट्रोन-2 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	1.04
16.	हैलोपेरीडोल इन्जेक्शन	हैलोपेरीडोल-5 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	5.41
17.	डाकार्बाजीन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	डाकार्बाजीन-500 मिग्रा.	प्रति पैक	919.54
18.	साइक्लोफोस्फामाइड	साइक्लोफोस्फामाइड-500 मिग्रा. इन्जेक्शन के लिए पाउडर	प्रति पैक	71.02
19.	ब्लियोमाइसिन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	ब्लियोमाइसिन-15 यूनिट	प्रति पैक	552.37
20.	परमेथ्रिन क्रीम	परमेथ्रिन-5%	1 ग्राम	1.62
21.	प्रोटामाइन इन्जेक्शन	प्रोटामाइन-10 मिग्रा./मिलि	1 मिलि	8.23
22.	स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्जेक्शन के लिए पाउडर	स्ट्रेप्टोमाइसिन-750 मिग्रा.	प्रति पैक	7.82

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम

कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।

- (ड.) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./169/37/2016/वि/फा. सं० 8(37)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डिर्वी. II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3181(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 644(E), dated 2nd March, 2016, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lithium Tablet	Lithium-300 mg	1 Tablet	1.35
2.	Diazepam Injection	Diazepam-5 mg/ml	1 ml	5.62
3.	Phenytoin Injection	Phenytoin-50mg/ml	1 ml	4.98
4.	Thiopentone	Thiopentone-1gm Powder for Injection	Each Pack	45.86
5.	Ketamine Injection	Ketamine-50 mg/ml	1 ml	9.69
6.	Ketamine Injection	Ketamine-10 mg/ml	1 ml	9.83
7.	Propofol Injection	Propofol-10 mg/ml	1 ml	6.70
8.	Bupivacaine Injection	Bupivacaine-0.25%	1 ml	2.27
9.	Bupivacaine Injection	Bupivacaine-0.5%	1 ml	3.64

10.	Adrenaline Injection	Adrenaline -1 mg/ml	1 ml	12.33
11.	Lignocaine Injection	Lignocaine-1%	Each Pack	7.36
12.	Lignocaine Injection	Lignocaine-2%	1 ml	0.91
13.	Doxycycline Tablet	Doxycycline-100 mg	1 Tablet	0.90
14.	Vincristine Injection	Vincristine-1 mg/ml	1 ml	46.37
15.	Ondansetron Oral Liquid	Ondansetron-2 mg/5ml	1 ml	1.04
16.	Haloperidol Injection	Haloperidol-5 mg/ml	1 ml	5.41
17.	Dacarbazine	Dacarbazine-500 mg Powder for Injection	Each Pack	919.54
18.	Cyclophosphamide	Cyclophosphamide-500 mg Powder for Injection	Each Pack	71.02
19.	Bleomycin	Bleomycin-15 units Powder for Injection	Each Pack	552.37
20.	Permethrin Cream	Permethrin-5%	1 Gram	1.62
21.	Protamine Injection	Protamine-10mg/ml	1 ml	8.23
22.	Streptomycin	Streptomycin-750 mg Powder for Injection	Each Pack	7.82

Note :

- All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/169/37/2016/F/F. No. 8(37)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]
BALJIT SINGH, Assistant Director

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का.आ. 3182(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का. आ. 1561(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2016

की सारणी में उल्लेखित क्रम सं. 10, को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और ईकाई (यूनिट) सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

क्र.सं. अनुसूचित विनिर्मित का नाम		सारणी प्रबलता	ईकाई	अधिकतम कीमत(रु.)
1	2	3	4	5
1.	मैट्रोनिडाज़ोल ओरल लिक्विड	मैट्रोनिडाज़ोल-200 मिग्रा./5 मिलि	1 मिलि	0.27

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अनुसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी निर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन स्थानीय कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत स्थानीय कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें।
- (ङ) उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के लिए विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों के विनिर्दिष्ट विभिन्न तरीके और प्रबलता से भिन्न अगर मौजूदा निर्माताओं द्वारा एक नई औषधि को लांच करता है तो उसे पहले औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत सूची II में विनिर्दिष्ट फार्म I के माध्यम से एनपीपीए में मूल्य निर्धारण हेतु आवेदन करना होगा।
- (च) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (ज) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, अधिकतम और खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[कां.सं./169/37/2016/वि/फा. सं० 8(37)/2016/डीपी/एनपीपीए.-डि.वी.-II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3182(E).— In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 1561(E), dated 27th April, 2016 regarding formulation pack mentioned in the table at Sl. No. 10, in so far as it relates to formulation pack mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of local tax applicable, if any in respect of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Metronidazole Oral Liquid	Metronidazole-200 mg/5 ml.	1 ml.	0.27

Note :

- All the existing manufacturers of scheduled formulations, selling the branded or generic or both the versions of scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus local taxes as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any.
- All the existing manufacturers of above mentioned scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus local taxes as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- The ceiling price for a pack of the scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- Where an existing manufacturer of scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- The manufacturers of above said scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- Consequent to the issue of ceiling prices of such formulations as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/169/37/2016/F/F. No. 8(37)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]

BALJIT SINGH, Assistant Director

आदेश

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2016

का. आ. 3183(अ).राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का० आ० 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है), नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4), और (5) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, ईकाई (यूनिट) और निर्मित और विपणन कम्पनियों सहित क्रमशः स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम/ब्रांड का नाम	प्रबलता	ईकाई	निर्मित और विपणन द्वारा क्रमशः	खुदरा मूल्य (रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	क्लोपिडोगरेल+ रोस्यूवास्टेटिन कैपसूल	प्रत्येक हार्ड ज़ेलेटिन कैपसूल में : क्लोपिडोगरेल बायसल्फेट क्लोपिडोगरेल-75 मिग्रा. के बराबर में (पैलेट्स में) रोस्यूवास्टेटिन कैल्शियम रोस्यूवास्टेटिन-10 मिग्रा. के बराबर में (पैलेट्स में)	1 कैपसूल	मैसर्स सायनोकेम फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स इन्दास फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	13.94
2.	क्लोपिडोगरेल+ रोस्यूवास्टेटिन कैपसूल	प्रत्येक हार्ड ज़ेलेटिन कैपसूल में : क्लोपिडोगरेल बायसल्फेट क्लोपिडोगरेल-75 मिग्रा. के बराबर में (पैलेट्स में) रोस्यूवास्टेटिन कैल्शियम रोस्यूवास्टेटिन-5 मिग्रा. के बराबर में (पैलेट्स में)	1 कैपसूल	मैसर्स सायनोकेम फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और मैसर्स इन्दास फॉर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	10.35
3.	कोलकैल्शिफेरोल ड्रॉप (आरबिविट-3 फोर्ट)	प्रत्येक मिलि में : कोलकैल्शिफेरोल-800 आईयू (विटामिन डी3) पेलेटेबल बेस	1 मिलि	मैसर्स रेप्टाकोस ब्रेट एंड कम्पनी लिमिटेड	4.33
4.	सेफ्टाजिडाइम+ टेजोबेकटम इन्जेक्शन (जायटाज़-टी)	प्रत्येक वायल में : सेफ्टाजिडाइम पेटाहाइड्रेट सेफ्टाजिडाइम-1 ग्राम के बराबर (स्ट्राइल सोडियम कार्बोनेट बफरिंग ऐजेन्ट के समान जोड़ी गई) टेजोबेकटम सोडियम टेजोबेकटम-125 मिग्रा. के बराबर (इन्जेक्शन के लिए पानी 10 मिलि स्ट्राइल पूर्ति सहित)	1 वायल	मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	268.45
5.	गिलिमिप्राइड+ मेटफोर्मिन एचसीएल गोली (ग्लूकोरिल एम 4 फोर्ट)	प्रत्येक अलिपित बायलेयर्ड गोली में : गिलिमिप्राइड-4 मिग्रा. मेटफोर्मिन एचसीएल-1000 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ फॉर्म में)	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स एलकेम लेबोरेट्रीज़ लिमिटेड	9.45

6.	टेकरोलिमस कैपसूल (टेकरोलिमस 0.25)	प्रत्येक हार्ड ज़ेलेटिन कैपसूल में : टेकरोलिमस-0.25 मिग्रा.	1 कैपसूल	मैसर्स पेनेशिया बायोटेक लिमिटेड और मैसर्स केडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	11.28
7.	प्रोप्रानोलोल+ फ्लयूनारिजाइन कैपसूल (मिगराफिन-पी)	प्रत्येक हार्ड ज़ेलेटिन कैपसूल में : प्रोप्रानोलोल एचसीएल-40 मिग्रा. (सस्टेन्ड रिलिज़ पेलेट्स में) फ्लयूनारिजाइन डाईहाइड्रोक्लोराइड फ्लयूनारिजाइन-10 मिग्रा. के बराबर (पेलेट्स में)	1 गोली	मैसर्स इनोवा केपटेब और मैसर्स लिफोर्ड हेल्थकेयर लिमिटेड	8.53

नोट :

- (क) विनिर्माता उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(u) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे स्थानीय करों को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें।
- (घ) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसे कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मैन्युफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियों जो अनुपालन करती हैं।
- (ङ) उपर्युक्त विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में सम्बन्धित निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणाम स्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[कां.सं./169/37/2016/वि/फा. सं० 8(37)/2016/डीपी/एनपीपीए.—डि.वी.—II]

बलजीत सिंह, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 7th October, 2016

S.O. 3183(E).— In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail

price, exclusive of local taxes, if any in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company respectively, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company respectively	Retail Price (Rs.)
1	2	3	4	5	6
1.	Clopidogrel + Rosuvastatin Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Clopidogrel Bisulphate eq. to Clopidogrel-75 mg. (as pellets) Rosuvastatin Calcium eq. to Rosuvastatin-10 mg. (as pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. & M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	13.94
2.	Clopidogrel + Rosuvastatin Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Clopidogrel Bisulphate eq. to Clopidogrel-75 mg. (as pellets) Rosuvastatin Calcium eq. to Rosuvastatin-5 mg. (as pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. & M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	10.35
3.	Cholecalciferol Drops (Arbivit-3 Forte)	Each ml contains Cholecalciferol-800 IU (Vitamin D3) Palatable base	1 ml	M/s Raptakos, Brett & Co. Ltd.	4.33
4.	Ceftazidime + Tazobactam Injection (Zytaz-T)	Each vial contains: Ceftazidime Petahydrate eq. to Ceftazidime-1 gm (added sterile sodium carbonate as buffering agent) Tazobactam Sodium eq. to Tazobactam-125 mg. (supplied with 10ml sterile water for injection)	1 Vial	M/s Cadila Healthcare Ltd.	268.45
5.	Glimepiride + Metformin HCl Tablet (Glucoryl M4 Forte)	Each uncoated bilayered tablet contains: Glimepiride-4 mg Metformin HCl 1000mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Ltd. & M/s Alkem Laboratories Ltd.	9.45
6.	Tacrolimus Capsule (Tacromus 0.25)	Each hard gelatin capsule contains: Tacrolimus 0.25 mg.	1 Capsule	M/s Panacea Biotec Ltd. & M/s Cadila Healthcare Ltd.	11.28
7.	Propranolol + Flunarizine Capsule (Migrafina-P)	Each hard gelatin capsule contains: Propranolol HCl-40 mg. (as sustained release pellets) Flunarizine Dihydrochloride eq. to Flunarizine 10mg (as pellets)	1 Capsule	M/s Innova Captab & M/s Leeford Healthcare Ltd.	8.53

Note :

- (a) The manufacturers of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturers may add local taxes only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturers in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturers shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS.
- (d) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturers/marketeers as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation/revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfillment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturers/marketing companies.
- (e) The concerned manufacturers of above said formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of product in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Manufacturers, in case intending to discontinue above said formulations, shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of the production and / or import of above said formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the issue of retail price of the aforesaid formulations as specified in column (2) of the above mentioned table in this notification, the price order(s) if any, issued for concerned manufacturer / marketer prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/169/37/2016/F/F. No. 8(37)/2016/D.P./NPPA-Div.-II]
BALJIT SINGH, Assistant Director